

प्रारूप-क

क. सं.	भवनों की श्रेणी	विकसित क्षेत्र				अविकसित क्षेत्र				अभ्युक्ति निम्न श्रेणी के भवन सम्मिलित है।
		प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर पूर्व समय में लागू दर रुपये में		प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर प्रस्तावित दर रुपये में		प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर पूर्व समय में लागू दर रुपये में		प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर प्रस्तावित दर रुपये में		
		बेसमेंट/भूतल	प्रथम तल व उसके ऊपर तल	बेसमेंट/भूतल	प्रथम तल व उसके ऊपर तल	बेसमेंट/भूतल	प्रथम तल व उसके ऊपर तल	बेसमेंट/भूतल	प्रथम तल व उसके ऊपर तल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आवासीय	45.00	20.00	77.00	34.00	50.00	25.00	85.00	43.00	
2	व्यवसायिक	70.00	35.00	140.00	70.00	85.00	45.00	170.00	90.00	
नोट:	ग्रुप हाउसिंग के भवनों पर आवासीय दरों का 1.5 गुना विकास शुल्क लिया जाय तथा क्रम संख्या-2 में डेरीफार्म, संकटमय भवन, गैस गोदाम, पेट्रोल पम्प, फीलिंग स्टेशन तथा होटल/गेस्ट हाउस, संग्रहगार, गोदाम (बहुखण्डी भवन) सिनेमाघर एवं व्यवसायिक काम्पलेक्स सम्मिलित है।									
3	औद्योगिक	70.00	35.00	140.00	70.00	85.00	45.00	170.00	90.00	इसमें सभी प्रकार के लघु एवं दीर्घ औद्योगिक भवन
4	सरकार/अर्द्ध सरकार अस्पताल, शैक्षिक भवनों, कार्यालय, फार्म हाउस, असेम्बली भवन आदि पर	30.00	15.00	60.00	30.00	40.00	20.00	80.00	40.00	इसमें सभी प्रकार के प्राइवेट स्कूल/कालेज

१
जिलाधिकारी
बोण्डा

5	निजी अस्पताल, क्लीनिक, संस्थागत भवन	80.00	40.00	160.00	80.00	100.00	50.00	200.00	100.00	सभी प्रकार के नर्सिंग होम एवं अस्पताल आदि
6	सार्वजनिक धर्मशाला, आश्रम एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट	40.00	20.00	80.00	40.00	50.00	25.00	100.00	50.00	शासनादेश सं0-3399 दिनांक 19.10.2002 के अनुसार कुल विकास शुल्क की धनराशि का 35 प्रतिशत जमा कराया जाय।
7	धार्मिक उपयोग यथा मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि	विकास शुल्क से मुक्त	विकास शुल्क से मुक्त	विकास शुल्क से मुक्त	विकास शुल्क से मुक्त	विकास शुल्क से मुक्त	विकास शुल्क से मुक्त	विकास शुल्क से मुक्त	विकास शुल्क से मुक्त	आच्छादित क्षेत्रफल जहां पर प्रार्थना पूजा आदि सम्पन्न होते हों।

नोट:- पुनरीक्षित विकास शुल्क की दरें दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगी।


जिलाधिकारी
बोगदा